



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277061
CG-DL-E-12102026-277061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 611]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

सं एचआरडी-1/6/2024/भ.नि./मुख्यालयकाडर.-भाग(1).— केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 14 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग अधिकारी, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुभाग अधिकारी।	196* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	केंद्रीय बोर्ड समूह 'ख' (केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य)	स्तर-8 [रु.47600 -151100] टिप्पण: अनुभाग अधिकारी के रूप में चार साल की नियमित सेवा पूरी करने पर अनुभाग अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स [रु. 53100 - 167800] में स्तर -9 में अकृत्यिक वेतनमान देय होगा।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा; (ii) 50% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
I. 50 प्रतिशत रिक्तियाँ, प्रोन्नति द्वारा ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारियों में से, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44,900-1,42,400) में हैं और उन्होंने उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर पाँच वर्ष से अन्यून सेवा की हो और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरी जाएंगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) (मानव संसाधन) –अध्यक्ष; ii. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1 (मानव संसाधन प्रबंधन) –सदस्य; iii. कर्मचारी राज्य बीमा निगम या भारत सरकार के किसी अन्य संगठन से एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक या समकक्ष पद से कम न हो – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।
II. 50 प्रतिशत रिक्तियाँ, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारियों में से, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44,900-1,42,400) में हैं और उन्होंने उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर चार वर्ष से अन्यून सेवा की हो और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; भरी जाएंगी।		

रमेश कृष्णमूर्ति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./380/2026-27]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

No. HRD-I/6/2024/RR/HeadQuartersCadre.-Part(1) – In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 14 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Section Officer Recruitment Rules, 2018, except as respects

things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Section Officer in the Employees' Provident Fund Organisation under the administrative control of Ministry of Labour and Employment, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Section Officer, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in Pay Matrix. – The number of the post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. – No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall

be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section Officer.	196* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Central Board Group 'B'. (Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government.)	Level-8 [Rs.47600 -151100] Note: Non-Functional Scale in level-9 [Rs. 53100 – 167800] in the Pay Matrix shall be admissible to Section Officers on completion of four years of regular service as Section Officer.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50% by promotion; 50% by Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation (including short term contract) or absorption, grades from which promotion or deputation (including short term contract) or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
I. 50% of the vacancies shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit from amongst Assistant Section Officers in level-7 (Rs 44,900 – 1,42,400) in the Pay Matrix who have rendered not less than five years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation from time to time. II. 50% of the vacancies shall be filled through Limited Departmental Competitive Examination from amongst Assistant Section Officers in level-7 (Rs 44,900 – 1,42,400) in the Pay Matrix who have rendered not less than four years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation from time to time.	Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of:— (1) Additional Central Provident Fund Commissioner (Head Quarters) (Human Resource) -Chairman; (2) Regional Provident Fund Commissioner-I (Human Resource Management) -Member; (3) one officer not below the rank of Joint Director or equivalent from Employees' State Insurance Corporation or other organisation of the Government of India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

RAMESH KRISHNAMURTHI, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./380/2026-27]